amongst the Members of the House to be a member of the Governing Council of the Indian Council of Medical Research. ."

The question was put and the motion was adopted

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, there is only one notice under Rule 267, but hon. Member who has given it is not present in the House. Now, Matters raised with permission. Dr. Radha Mohan Das Agrawal — Demand for inclusion of 22 illustrations from the first illustrated manuscript of India's Constitution in the re-printed Constitution.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demand for inclusion of 22 illustrations from the first illustrated manuscript of India's Constitution in the re-printed Constitution

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं। आज मैं भारतीय संविधान के साथ बहुत असंवैधानिक तरीके से हुए खिलवाड़ की ओर आपके माध्यम से इस पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश का एक आम नागरिक, चाहे वह विधि शास्त्र का एक आम छात्र हो, अगर वह भारत के संविधान की पुस्तक बाजार में खरीदने जाता है, तो उसे वह मूल प्रति प्रिंटेड रूप में प्राप्त नहीं होती है, जिसके ऊपर 26 नवम्बर, 1949 को भारत के संविधान निर्माताओं ने दस्तख्त किए थे। इस संविधान के कुछ प्रमुख हिस्सों को न जाने किन कारणों से असंवैधानिक तरीके से संविधान के हिस्से से निकाल दिया गया।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि अगर संविधान में कोई संशोधन करना है, तो संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ही संविधान का एक भी कोमा, फुल स्टॉप, कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द, कोई भी अन्य चीज़ हटाई जा सकती है, बिना उसके किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, इस देश के नागरिक जानना चाहते हैं कि क्या कारण थे कि 26 नवम्बर, 1949 को भारत के संविधान पर जो हस्ताक्षर किए गए थे, कुछ लोगों ने उनके महत्वपूर्ण हिस्सों को न जाने कब और बिना किसी संसदीय स्वीकृति के हटा दिया?

सभापति महोदय, मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि भारत के संविधान को रचते समय संविधान सभा ने नंदलाल बोस जी को निमंत्रित किया था, संविधान सभा ने उन्हें निर्देशित किया था कि संविधान की भावनाओं को परिलक्षित करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन्स बनाकर संविधान के हिस्से बनाए जाएं। नंदलाल बोस जी ने भारत के तत्कालीन संविधान के 22 अध्यायों के सर्वोत्तम पहले पेज पर, ऊपर के स्थान पर 22 इलस्ट्रेशन्स बनाए। वे इलस्ट्रेशन्स क्या थे? उस पर भारतीय

सभ्यता की सर्वोच्च प्रतिनिधि, प्राचीनतम प्रतिनिधि, सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहनजोदाड़ो की जो सील थी, वह बनाई गई थी, जिसे इन लोगों ने हटा दिया। जब भगवान श्रीराम लौटकर आ रहे थे ..(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): कुछ नहीं हटाया गया, यह गलत है। ...(**व्यवधान**)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: जब भगवान श्रीराम अयोध्या लौटकर आ रहे थे, तो उनके वापस लौटने की फोटो बनाई गई थी, जो हटा दी गई। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: यह असत्य है। ...(**व्यवधान**)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: जब भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में सरमन दे रहे थे, तो उस पूरे दृश्य को हटा दिया गया। भगवान बुद्ध की फोटो को, उनके आदेश को हटाया गया।...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : यह बिलकुल असत्य है। ...(**व्यवधान**)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: भगवान महावीर के उपदेश देते हुए हिस्से को हटाया गया, सम्राट विक्रमादित्य की फोटो को हटाया गया, यहाँ तक कि महात्मा गाँधी की जो दो फोटो थीं, उन दोनों फोटो को इन लोगों ने हटा दिया। महोदय, इन लोगों ने लक्ष्मीबाई की फोटो को हटाने का काम किया। ...(**व्यवधान**)... इन लोगों ने शिवाजी की फोटो को हटाने का काम किया। हिमालय, समुद्र, जो भारत की सीमाएँ बनाती थीं, इन लोगों ने उनकी फोटो हटाने का काम किया। ये नेता जी सुभाष चंद्र बोस की फोटो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, नेता जी सुभाष चंद्र बोस के प्रति इनमें इतना घृणा थी। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Radha Mohan Das Agrawal: Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shrimati Mamata Mohanta (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Subhash Barala (Haryana), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Devendra

Pratap Singh (Chhatisgarh), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Rambhai Mokariya (Gujarat), Shri Samik Bhattacharya (West Bengal), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shrimati Maya Narolia (Madhya Pradesh), Shri Dharmshila Gupta (Bihar), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shrimata Sulata Deo (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Ram Chander Jangra (Haryana) and Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur).

...(Interruptions)...

श्री जयराम रमेशः यह सरासर असत्य है। ...(**व्यवधान**)... ये बिल्कुल असत्य बोलते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण, एक सेकंड रुकिए। मैं आपको बताता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान, जो कि हस्ताक्षरित है, वही हमारा संविधान है। उस संविधान में जो संशोधन हुए हैं, वे इसका हिस्सा हैं। यह निर्विवाद है कि जो संविधान हस्ताक्षरित है और जो सदन में भी है, जिसमें संशोधन है, वही प्रचारित होना चाहिए, वही प्रसारित होना चाहिए। यदि कोई भी प्रसारण इसके विभिन्न है, मतान्तर है, तो वह किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कहा जा सकता है। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने दस्तख्त किए हैं, वह उसका अभिन्न अंग है। वे 22 कृतियाँ, जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा के 5 हज़ार साल दर्शाती हैं ...(**व्यवधान**)... एक सेकंड, रुकिए। आज के दिन, यदि कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है, तो उसमें ये नहीं हैं और यह अनुचित है। मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तख्त किए हैं, उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है, जितना संसद स्वीकार करती है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः क्या यह संविधान नहीं है?

OBSERVATIONS BY THE CHAIR

श्री सभापतिः उसके अलावा कोई भी बदलाव, किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे वह न्यायिक व्यवस्था ही हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। सदन ने जो कर दिया, वही संविधान की अंतिम परिभाषित प्रतिलिपि है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह रोज देखने को मिलती है। छात्रों को पता नहीं है। आपको किसी पुस्तक में वे 22 कृतियाँ नहीं दिखाई देती हैं। मैं सभी से आग्रह करूँगा... ...(**व्यवधान**)... I have no doubt and I am categorical that the Constitution signed by the founding fathers of the Constitution, carrying 22 miniatures, is the only authentic one and it can include amendments by the Parliament. If there is any change effected by judiciary or any institution that is not acceptable to this House.